समाहरणालय, मुंगेर

(स्थापना शाखा)

पत्रांक ..../स्था0, दिनांक ....

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय : बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रपत्र 2 के सत्यापन हेतु सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी को संविदा पर नियोजन हेतु संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संविदा के आधार पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रपत्र 2 के सत्यापन हेतु सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी को संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना है। विज्ञापन की प्रति एवं सी0डी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन यथाशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

-ह0-

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक....852....../स्था, दिनांक....27/5/13.

प्रतिलिपिः-जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को विज्ञापन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-आई0टी0प्रबंधक, मुंगेर को विज्ञापन की प्रति के साथ जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

E:\Rai sir\CLERK Format.doc

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला स्थापना शाखा)

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रपत्र 2 का सत्यापन हेतु सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी को संविदा पर नियोजन हेतु अवसर

प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 718 दिनांक 12.04.2013 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 के प्रावधानों के आलोक में राजस्व कर्मचारी के पद से सेवानिवृत इच्छुक कर्मियों से विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर उसी पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

2. संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायगा:-

(क) नियोजित कर्मियों को मासिक मानदेय उन्हे प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही राशि होगी।

(ख) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।

(ग) चयन प्रथम चरण में एक साल के लिए होगी, जिसे समय-समय पर आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा।

(घ) नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जायगी और संतोषजनक कार्य नहीं होने पर उन्हे हटाया जा सकेगा।

(ड़) जिन रिक्तियों के विरूद्ध संविदा के आधार पर चयन किया जा रहा है, उनपर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा रही है। नियमित नियुक्ति होने के बाद इनकी सेवाएँ स्वतः समाप्त कर दी जाएगी।

3. निम्नांकित कर्मियों की सेवा नहीं ली जायगी:-

I. जिन पर निगरानी का मामला चल रहा है।

II. जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रहा है।

III. जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचारणीय हो।

IV. जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(क्रमाक I से IV के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा)

V. चयन समिति के दृष्टि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो सक्षम प्रतीत नहीं होगें।

4. चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

5. नियोजन में निकट के वर्षो में सेवानिवृत कर्मियों को प्राथमिकता सूची में उपर रखा जाएगा।

6. सेवानिवृत इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2013 के 05:00 बजे अपराह्न तक जिला स्थापना शाखा, मुंगेर में समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। संविदा पर नियोजन हेतु Walk in Interview दिनांक 20.06.2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से समाहरणालय सभा कक्ष मुंगेर में आयोजित किया जायेगा।

7. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा जिले में गठित चयन समिति द्वारा करके नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

8. आवेदन के साथ पेंशन भुगतान आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :..

2. विभाग/कार्यालय का नाम :..

(जहाँ से सेवानिवृत हुए है)

3. गृह जिला..

4. जन्म तिथि :..

5. सेवानिवृति की तिथिः..

6. अन्तिम वेतनः-(i)मूल वेतन

(ii)वेतनमान

(iii)ग्रेड पे

7. सेवा निवृति को धारित पदः-..

8. पेंशन स्वीकृति की स्थितिः-(i) स्वीकृतः-

(ii) स्वीकृत नहीं:-

(iii) औपबंधिक स्वीकृतः-

(सही (✓) का निशान लगायें)

(आदेश की प्रति संलग्न करें)

9. पेंशन स्वीकृति-राशि-पेंशन+महंगाई राहत आदि (कुल जोड़कर)..

10. सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप/विभागीय कार्रवाही की स्थितिः-..........................

11. आरक्षण श्रेणीः-..

12. आरोप के निष्पादन की स्थिति में अधिरोपित दण्ड का विवरणः-..

13. वर्त्तमान पता (मोबाईल संख्या के साथ):-..

14. स्थायी पताः-..

15. घोषणा पत्रः- एतद् द्वारा मै घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0-2804 दिनांक 29.03.2010 की सभी शर्त मान्य है।

आवेदक का हस्ताक्षर

जिला पदाधिकारी

मुंगेर।